समस्त पत्र-व्यवहार कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

पत्र संख्या ....

प्रेषक,

कुल सचिव
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ 226 007

दिनांक ....

सेवा में,

1. अधिष्ठाता, कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, शिक्षा एवं ललित कला संकाय, ल0 वि0 वि0।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उपरोक्त संकाय, ल0 वि0 वि0।
3. अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल0 वि0 वि0।
4. कुलानुशासक, ल0 वि0 वि0।
5. अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष, टैगोर लाइब्रेरी, ल0 वि0 वि0।
6. अधिष्ठाता छात्रावास / चीफ् प्रोवोस्ट, ल0 वि0 वि0।
7. ओ0एस0डी0, आई0एम0एस0, न्यू कैम्पस, ल0 वि0 वि0।
8. अध्यक्ष, को–ऑपरेटिव लेन्डिग लाइब्रेरी, ल0 वि0 वि0।
9. चेयरमैन, एथेलेटिक एशोसिएसन, ल0 वि0 वि0।
10. अधीक्षक, गार्डेन एण्ड ग्राउण्ड, ल0 वि0 वि0।
11. परीक्षा नियंत्रक, ल0 वि0 वि0।
12. वित्त अधिकारी, ल0 वि0 वि0।

महोदय / महोदया,

कृपया सूचित करना है कि कार्य परिषद् की बैठक दिनांक–24.12.2008 के विनश्चय संख्या–17 के अनुपालन में विश्वविद्यालय की निष्प्रयोज्य सामाग्री / वाहन के निस्तारण का नियम माननीय कुलपति के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।जिसकी एक प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि निष्प्रयोज्य सामग्री / वाहन के निस्तारण के संबंध में, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(जी0पी0 त्रिपाठी)
कुलसचिव

संख्या– 5आर / 264-67/09

दिनांक– 13·5· 2009

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, कुलपति कार्यालय, सूचनार्थ माननीय कुलपति जी।
2. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति कार्यालय, सूचनार्थ माननीय प्रति कुलपति जी।
3. समस्त सहायक कुलसचिव / उप कुलसचिव ल0 वि0 वि0।
4. इंचार्ज रिकार्ड सेक्सन, संबंधित पत्रावली में संलग्न करने हेतु।

कुलसचिव

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण

निष्प्रयोज्य और फालतू सामग्री एवम् वस्तुओं के भण्डार का विक्रय स्वीकृत करने सम्बन्धी नियम।

1. अधिकार क्षेत्र :-

सक्षम अधिकारी	परिसीमायें
अ. कार्याध्यक्ष/संकायाध्यक्ष	(क) 1,00,000 रूपये तक मूल मूल्य के फालतू भण्डार का विक्रय 20 प्रतिशत से अनाधिक हृासित मूल्य पर किया जाय। (ख) 1,00,000 रूपये तक मूल्य के निष्प्रयोज्य भण्डार को।
ब. कुलपति	(क) 1,00,001 से 3,00,000 रूपये तक मूल मूल्य के फालतू भण्डार का विक्रय 20 प्रतिशत से अनाधिक हृासित मूल्य पर किया जाय। (ख) 1,00,001 से 3,00,000 रूपये से अधिक मूल्य के निष्प्रयोज्य भण्डार को।
स. कार्यपरिषद	प्रत्येक मामले में 3,00,000 रूपये से अधिक एवम् 3,00,000 रू0 तक मद संख्या 02 में उल्लिखित शर्तों के साथ। **टिप्पणी**–जब भण्डार किसी प्राविधिक अथवा औद्योगिक प्रकार का हो तो विक्रय के लिए तकनीकी परामर्शदात्री समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी। रू0 3,00,000 (तीन लाख) से अधिक लागत की फालतू निष्प्रयोज्य सामग्री के विक्रय प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रतिकुलपति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसके सदस्य वित्त अधिकारी, कुलसचिव एवम् आवश्यक होने पर विभागाध्यक्ष होंगे।

2. भण्डार क्रय एवं लेखांकन सम्बन्धी नियम :-

(1) निष्प्रयोज्य अथवा फालतू भण्डार की रिपोर्ट कुलसचिव को भेजी जायेगी जो इसका निरीक्षण कराने के पश्चात नीलामी कुलपति के अनुमोदन के पश्चात, की स्वीकृति करेंगे।

(2) फालतू भण्डार की रिपोर्ट प्रपत्र "अ" में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी। (परिशिष्ट-"अ")।

(3) यदि इनमें से कुछ सामान मरम्मत के पश्चात उपयोग में लाया जा सकता हो तो पहले उसकी सूची तैयार करके अन्य कार्यालयों को भेजी जायेगी ताकि यदि उसका उपयोग हो तो नीलाम न किया जाय।

(4) नीलामी के पूर्व मुनादी पिटवाकर तथा समाचार पत्रों आदि के द्वारा इसको विज्ञापित करना होगा। नीलामी की तिथि, समय एवं स्थान भी निर्धारित करना, तथा विभिन्न सामग्री की मूल्य भी नीलाम कुलसचिव के समक्ष ही होना चाहिए, जो यह देखेंगे कि प्रत्येक बोली को उचित रूप में अभिलिखित किया जाय।

(5) नीलामी कराने वाले अधिकारी की बाध्यता नहीं है कि वह सबसे उँची बोली वाले के ही अथवा किसी व्यक्ति के पक्ष में बोली तुड़वा दे, किन्तु ऐसा न करने का कारण उसको अभिलिखित करना पड़ेगा। संदिग्ध व्यक्तियों को नीलामी में भाग लेने से मना किया जा सकता है।

(6) नीलामी कराने वाले अधिकारी द्वारा स्वीकृत कोई बोली सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अधीन होगी। इस शर्त से सबको अवगत कराना होगा।

(7) प्रत्येक स्तर पर बोली पर उस व्यक्ति को दृढ़ रहना पड़ेगा चाहे वह सबसे ऊंची हो अथवा नहीं।

REGISTRAR
Lucknow University
Lucknow.

(8) कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की ओर से बोली नहीं बोल सकता जब तक कि वह इसके लिए प्राधिकृत न हो और लिखित रूप में नीलामी कराने वाले अधिकारी को सूचित न कर दे।

(9) सामग्री जहां भी रखी या पड़ी हो तथा वहीं से वह उठा ली जायेगी। सामान के विवरण, संख्या, मात्रा, वजन, नाप आदि अनुमानित होंगे और इस आधार पर उनको नीलाम किया जायेगा कि इच्छुक व्यक्तियों ने इसको देख लिया है।

(10)यदि किसी वस्तु का वजन अथवा संख्या के आधार पर नीलाम करना हो, और न कि एक ढेर के रूप में, तो इसकी सूचना पहले देनी होगी और प्रत्येक का मूल्य अलग-अलग लगाया जायेगा।

(11)यदि नीलाम कर्ता अधिकारी को पता चले कि नीलाम में भाग लेने वालों ने सांठ-गांठ करके गुट बना लिया है और सामग्री अथवा वाहन के लिये उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो रहा हो तो नीलामी रूकवा सकता है।

(12)नीलामकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी सामान को नीलामी से, बिना पूर्व सूचना के हटवा ले।

(13)बोली टूटने पर सामान/गाड़ी का 25 प्रतिशत मूल्य तुरन्त धरोहर राशि अरनेस्ट मनी के रूप में जमा करना होगा। चेक/बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अधिकारी चाहे तो इससे अधिक अथवा पूरी धनराशि जमा करवा ले।

(14)यदि धरोहर धनराशि जमा नहीं की जाती तो बोली निरस्त कर दी जायेगी तथा वह सामान उससे कम बोली वाले को दे दिया जायेगा। ऐसे मामले में विश्वविद्यालय द्वारा अन्य कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

(15)बोली बोलने वालों का ध्यान धारा 185, आई0पी0सी0 की ओर आकर्षित किया जायेगा कि मुकर जाने पर उनके विरूद्ध अभियोग चलाया जा सकता है।

(16)सक्षम अधिकारी अथवा कुलसचिव द्वारा बोली का पुष्टिकरण करने के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर शेष धनराशि जमा करनी होगी।

(17) यदि सफल बोली वाला निर्धारित समय के अन्दर शेष धनराशि का भुगतान नहीं कर पाता तो उसके पक्ष में नीलामी निरस्त कर दी जायेगी और उसके द्वारा जमा की गयी 25 प्रतिशत की धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा समान उससे कम बोली वाले को दे दिया जायेगा यदि उसके द्वारा बोली धनराशि तथा जब्त की गयी धरोहर धनराशि मिलाकर सबसे उच्च बोली के बराबर हो जाती है अन्यथा नीलामी निरस्त कर दी जायेगी, मुकर जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।

(18)सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन तक सफल बोली वाला उस वाहन अथवा समान की निगरानी कर सकता है जो नीलामी के स्थान पर ही उसकी जिम्मेदारी पर पड़ी रहेगी।

(19)पूरा भुगतान प्राप्त होने पर समान उच्चतम बोली वाले को दे दिया जायेगा।

(20)सामान को किसी अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्राप्त कराया जायेगा।

(21)अन्तिम भुगतान के सात दिन के अन्दर गाड़ी/सामान पूर्ण रूप से हटा लिया जायेगा अन्यथा सक्षम अधिकारी द्वारा विक्रय मूल्य के एक प्रतिशत प्रतिदिन के आधार पर रख-रखाव का व्यय वसूल किया जा सकता है।

(22)यदि सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी का पुष्टिकरण नहीं किया जाता तो वह निरस्त मानी जायेगी।

(23)वाहन/सामग्री के लिये नगर पालिका को सफल बोली द्वारा स्थानीय करों का, यदि कोई हो, भुगतान करना होगा।

(24)वाहन की रजिस्ट्री के अभिलेख भी सफल बोली वाले को दे देने चाहिये।

(25)यदि इस सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो कुलपति अथवा कार्यपरिषद द्वारा एक निर्णायक आरबीट्रेटर नियुक्त किया जायेगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों को बाध्य होगा।

(26)यदि कोई मुकदमा चलता है तो जिस क्षेत्र में निलाम किया गया हो वहीं के न्यायालय में चलाया जायेगा।

(27)बिक्री का विवरण पत्र, प्रपत्र 'बी' में तैयार किया जायेगा तथा नीलामी अनुमोदित करने वाले अधिकारी द्वारा इसको हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा उसका मिलान फालतू भण्डार के विवरण पत्र से किया जायेगा। यदि सामग्री किसी अन्य अधिकारी के समक्ष हटाई जाय तो विवरण पत्र के स्तम्भ 9 में उसके हस्ताक्षर होंगे।

(28)निष्प्रयोज्य / फालतू घोषित किये जाने के आदेश की एक प्रति आडिट आफीसर को पृष्टांकित की जायेगी।

REGISTRAR
Lucknow University
Lucknow.

(29)नीलामी आरम्भ किये जाने के पूर्व उपरोक्त सभी शर्तों को लिखित रूप से स्वीकार किये जाने के हस्ताक्षर समस्त व्यक्तियों से जो नीलामी में भाग ले रहे हों, करा लिये जाने चाहिये। नीलामी में वही व्यक्ति भाग ले सकता है जो उपरोक्त शर्तों को लिखित रूप में स्वीकार करने के साथ, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित एक निश्चित नगद (चेक/बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे) धनराशि धरोहर के रूप में जमा करेगा जो बाद में उस व्यक्ति के पक्ष में बोली टूटने पर उपरोक्त क्रम संख्या-13 में जमा होने वाली धरोहर राशि में समायोजित कर ली जायेगी अथवा बोली न लगने पर वापस कर दी जायेगी।

(नोट :- फालतू सामग्री और निष्प्रयोज्य भण्डार के विक्रय सम्बन्धी उपरोक्त नियम शासनादेश संख्या यू.ओ. -एफ-ए-2-173/दस-97 दिनांक 05 दिसम्बर 1997, प्रमुख सचिव, वित्त (लेखा) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन लखनऊ एवम् वित्तीय हस्त पुस्तिका-भाग-1, परिशिष्ट-XIX में दिये गये दिशा निर्देशों पर आधारित है)

3. निष्प्रयोज्य वाहन :-

(1) विश्वविद्यालय में निष्प्रयोज्य वाहनों के निस्तारण के लिए शासनादेश संख्या-2747/30-4-97-24 के एम/76 दिनांक 04 अक्टूबर 1997 में सक्षम अधिकारी मण्डलायुक्तों/विभागाध्यक्षों के स्थान पर विश्वविद्यालय के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के लिए माननीय कुलपति जी सक्षम अधिकारी होंगे।

(2) वाहनों को निष्प्रयोज्य करते समय वाहन की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि (ईंधन को छोड़कर) वाहन के क्रय मूल्य की धनराशि 65 प्रतिशत से अधिक नहीं है तथा वाहन को निष्प्रयोज्य करना आर्थिक दृष्टि से मितव्ययी है। वाहन के निष्प्रयोज्य प्रमाण पत्र में न्यूनतम मूल्य का भी उल्लेख होगा, न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय वाहन के जीवन काल और उसके द्वारा तय की गयी दूरी विषयक दोनों मापदण्डों को ध्यान में रखा जायेगा। वाहन दोनों मापदण्डों को अक्षरशः पूरा करने की दशा में उसका न्यूनतम मूल्य उसके वर्तमान क्रय मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर होगा। वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करते समय इन दोनों में से किसी एक मापदण्ड की पूर्ति नहीं हो रही है तो मापदण्ड की पूर्ति में जितनी कमी होगी उसी अनुपात में वाहन का न्यूनतम मूल्य बढ़ जायेगा।

(3) वाहन को निष्प्रयोज्य घोषित करने के उपरान्त वाहन की मरम्मत और ईंधन पर कोई व्यय नहीं किया जायेगा। वाहन का जीवन काल जो कम से कम 10 वर्ष चल चुकी हों या जिन्होंने 1.75 लाख कि0मी0 की दूरी तय कर ली हो, निष्प्रयोज्य घोषित किया जा सकता है।

(4) वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने या गाड़ी का संचालन व मरम्मत मितव्ययी न होने की दशा में अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में अथवा मापदण्डों को पूर्ण न करने की दशा में तकनीकी समिति की संस्तुति पर निष्प्रयोज्य घोषित किया जा सकता है।

(5) वाहन के निर्धारित न्यूनतम निलामी मूल्य को आरक्षित न्यूनतम निलामी मूल्य के रूप में रखा जायेगा और यह प्रयास किया जाय कि वाहन न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर ही निलामी की जाय। तीन स्थानीय समाचार पत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार के बाद भी न्यूनतम निलामी मूल्य पर वाहन की निलामी सम्भव न हो और यदि निलामी समिति यह उचित समझे कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन की भौतिक स्थिति एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत उचित है और व्यापक प्रचार-प्रसार के उपरान्त भी अधिक मूल्य प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है तो समिति वाहन की वर्तमान भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य के दृष्टिगत निलामी में प्राप्त अधिकतम मूल्य पर वाहन निलाम कर सकती है परन्तु यदि निलामी समिति यह समझती है कि प्राप्त अधिकतम मूल्य वाहन की भौतिक दशा एवं बाजार मूल्य को देखते हुए उचित नहीं है तो निलामी समिति द्वारा पुनः व्यापक प्रचार-प्रसार के पश्चात वाहन की निलामी की संस्तुति करेगी।

3. निष्प्रयोज्य सामग्री/वाहन निस्तारण समिति :-

(1) तकनीकी समिति	-	दो सदस्य (विभागीय)।
(2) मूल्यांकन	-	एक सदस्य (अन्य विभाग से)।
(3) नीलामी	-	एक सदस्य (कुलपति नामिनी)।
		एक सदस्य (वित्त अधिकारी अथवा नामिनी)।
		एक सदस्य (कुलसचिव अथवा नामिनी)।

REGISTRAR
Lucknow University
Lucknow.

कार्यालय - आदेश
(निष्प्रयोज्य प्रमाण पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि वाहन संख्या-............................ में माडल .... पंजीयन तिथि .... इंजन संख्या .... चेसिस संख्या .... जो पेट्रोल/डीजल चालित हैं, जिसने ....कि0मी0 की दूरी तय कर ली है तथा वाहन की मरम्मत पर रू0 .... की धनराशि व्यय की जा चुकी है जो वाहन के क्रय मूल्य रू0 .... से अधिक नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में वाहन संख्या .... दिनांक .... से निष्प्रयोज्य घोषित किया जाता है। वर्तमान समय में वाहन की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वाहन का न्यूनतम मूल्य रूपये .... निर्धारित किया जाता है।

(नोट :- निष्प्रयोज्य वाहन के निलामी सम्बन्धी नियम-3 शासनादेश संख्या-2747/30-4-97-24 के एम/76, दिनांक 04 अक्टूबर 1997, शासनादेश संख्या-3817/30-2-24 के एम-86, दिनांक 31 अक्टूबर 1986, शासनादेश दिनांक 11 जून 2002, शासनादेश संख्या-1914/30-4-2002-38/90, दिनांक 05 अगस्त 2002 में दिये गये दिशा निर्देशों पर आधारित है)